मंदानिकी प्रोजेक्ट में आएगी तेजी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 2 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य शासन की प्राथमिकता वाले विषयों पर त्वरित कार्यवाही की जाए. अभियान चलाकर लक्ष्य पूरे किए जाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदाकिनी नदी जोड़ो परियोजना के लिए उत्तरप्रदेश सरकार तैयार है. जल्द ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक में इस परियोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा.

डॉ. यादव गुरूवार को मंत्रालय में विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर विभागों की अद्यतन प्रगति एवं आगामी कार्य योजना के संबंध में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी धार्मिक महत्व के तीर्थ स्थलों जैसे मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, महेश्वर, दतिया, ओरछा, मैहर आदि में धर्मशाला, सराय, अन्न क्षेत्र, प्याऊ, पेयजल टंकी, अस्पताल एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माण के लिए धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल के भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड भेल को शासन द्वारा दी गई जमीन की भेल के लिए वर्तमान में अनुपयोगी भूमि उनसे वापस लेने के प्रयास किए जाएं. इसके लिए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय से समन्वय कर यह कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए.

डॉ. यादव से मिले त्रिपुरा के सीएम डॉ. साहा

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने सौजन्य भेंट की. डॉ. यादव ने भोपाल प्रवास पर आए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. साहा के मुख्यमंत्री निवास आगमन पर उनका स्वागत किया. इस अवसर पर डॉ साहा की पत्नी श्रीमती स्वप्ना साहा भी उपस्थित थीं. डॉ. साहा एओएमएसआई मिड-टर्म कन्वेंशन और एओएमएसआई पोस्टग्रेजुएट कन्वेंशन-मिडकॉम्स 2026 के शुभारंभ समारोह में शामिल हुए.

2548 पदों पर होगी नियुक्ति

▶ 781 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 1767 सहायिकाओं के पद भरे जाएंगे

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 2 जुलाई. राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर पोषण प्रबंधन को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश की विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की बड़े पैमाने पर भर्ती करने का निर्णय लिया है. राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 2,548 पदों पर योग्य महिला अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की जाएगी. विभाग ने इस संबंध में तैयारी शुरू कर दी है.

भर्ती में स्थानीय पात्रताधारियों को प्राथमिकता मिलेगी. कुल रिक्तियों में से 781 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए और 1,767 पद आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं. इन पदों पर चयन के लिए पारदर्शिता और स्थानीय प्रतिनिधित्व को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. नियमों के मुताबिक, आवेदिका का उसी राजस्व ग्राम या शहरी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है, जहां का पद रिक्त है. किसी अन्य ग्राम या वार्ड की महिला इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी. इससे स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता मिलने से मैदानी स्तर पर सेवाओं का कुशल संचालन सुनिश्चित हो सकेगा.

ऑनलाइन आवेदन केवल 13 जुलाई तक स्वीकार होंगे- भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी रहेगी. इसमें एमपी. ऑनलाइन के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इच्छुक महिला अभ्यर्थी चयन पोर्टल पर जाकर एक जुलाई से अपने आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा कर सकती हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई निर्धारित की गई है, जबकि भरे गए फॉर्म में किसी भी प्रकार के त्रुटि सुधार के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया जाएगा.

तेउविबो OIDB

तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी)
(पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय)
ओआईडीबी भवन, प्लॉट नं-2, सेक्टर-73, नोएडा-201301

No. AD/30/2024-ADM- Part (2) दिनांक: 24 जून, 2026

1. तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/स्वायत्त/सांविधिक निकायों से योग्य उम्मीदवारों से उचित माध्यम से 7वें सीपीसी के अनुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर वेतन स्तर-13 पर वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी (एफए एंड सीएओ) और वेतन स्तर-06 पर आशुलिपिक ग्रेड-सी के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

2. ओआईडीबी में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 'रोजगार समाचार' में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 21वां दिन होगी।

3. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार नियुक्ति पी एंड पीडब्ल्यू विभाग , केंद्र सरकार द्वारा तत्काल समावेश से छूट दिए जाने के आधीन होगी |

4. योग्यता के मानदंडों, वैकेंसी सर्कुलर और अन्य विवरणों के लिए, कृपया OIDB की वेबसाइट www.oidb.gov.in पर जाएँ। यदि वेबसाइट काम नहीं कर रही है या उस तक पहुँचा नहीं जा पा रहा है, तो ज़रूरी जानकारी mgr.admn.oidb@nic.in पर लिखकर प्राप्त की जा सकती है।

5. इस विज्ञापन से संबंधित कोई भी शुद्धि/परिशिष्ट/निरस्तीकरण आदि केवल ओआईडीबी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारों को नियमित रूप से ओआईडीबी वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

प्रबंधक (पी एंड ए)
ओआईडीबी, नोएडा

CBC 33113/11/0004/2627

डीएनए पर हाईकोर्ट का अहम आदेश

नवभारत न्यूज

जबलपुर, 2 जुलाई. हाईकोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि जन्मतिथि संतोषजनक नहीं है तो सिर्फ डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा से दंडित नहीं किया जा सकता है.

जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस ए के सिंह अपने आदेश में कहा है कि एलकेजी में दाखिला लेने के बाद कोई 9 साल में कक्षा दसवीं कैसे उत्तीर्ण कर सकता है. आम तौर पर कक्षा दसवीं की परीक्षा में बैठने से पहले एक छात्र को लगभग बारह साल की औपचारिक स्कूली शिक्षा पूरी करना होती है. युगलपीठ ने कक्षा दसवी की मार्कशीट में दर्ज जन्मतिथि को सही नही मानते हुए पास्को सहित अन्य धाराओं के तहत दी गयी सजा को निरस्त करते हुए अपीलकर्ता को दोषमुक्त करने के आदेश जारी किये है. सिंगरौली निवासी मुन्ना राम की तरफ से दायर अपील में पास्को सहित अन्य धाराओं के तहत जिला न्यायालय द्वारा अधिकतम 20 साल की सजा से दंडित किये जाने को चुनौती दी गयी थी. अभियोजन पक्ष उसकी जन्म तिथि को संतोषजनक ढंग से साबित नहीं कर पाया है. पीड़िता अपनी मर्जी से संबंध बनाने वाली बालिग थी और डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव होने के कारण अपीलकर्ता को दोषी ठहराना सही नहीं है. युगलपीठ ने उक्त आदेश के साथ जिला न्यायालय द्वारा दी गयी सजा को निरस्त करते हुए अपीलकर्ता को दोषमुक्त कर दिया.

वीबी जी रामजी के शुभारंभ पर सभी जिलों में हुए कार्यक्रम

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 2 जुलाई. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका सृजन एवं टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण को नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित भारत -गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) वीबी जी राम जी का आज प्रदेशभर में उत्साहपूर्ण शुभारंभ किया गया. इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रशासन द्वारा जन सम्मेलन-सह-लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किए गए.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संस्कारधानी जबलपुर में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) वीबी जी राम जी का राज्य स्तर पर जन सम्मेलन-सह-लॉन्च किया. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने योजना के विभिन्न आयामों और जन-कल्याणकारी नीतियों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की. उन्होंने कहा की तकनीक और पारदर्शिता का यह अद्भुत समागम सुशासन को सुदृढ़ करने के साथ-साथ हम सभी को राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में पूरी निष्ठा के साथ जुटने की प्रेरणा देता है, केंद्र व राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका और आत्मनिर्भरता के नए अवसर सृजित कर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर कार्यरत है. प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्रीगण, सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता करते हुए मिशन के उद्देश्यों एवं प्रावधानों की जानकारी दी.

दुकान के गल्ले से रुपए चोरी, कैमरे में कैद हुआ आरोपी

भोपाल, 02 जुलाई. शाहजहांनाबाद इलाके में एक मेडिकल दुकान संचालक ने गल्ले से रुपए चोरी होने का मामला दर्ज कराया है. दुकान के अंदर से रुपए चोरी करने वाला शख्स वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. पुलिस हुलिए के आधार पर आरोपी की तलाश करने में जुट गई है. जानकारी के मुताबिक फरियादी आजान खान की ताजुल मस्जिद के पास मेडिकल दुकान है. पीरगेट निवासी अजान की दुकान से बीते 30 जून को छह हजार रुपये चोरी हो गए. इसका पता उन्हें तब चला जब उन्होंने दुकान में लगे कैमरे की फुटेज देखी. दुकान पर जब कोई नहीं था. इस दौरान एक युवक दुकान के गल्ले तक पहुंचा और रुपये निकाले. संदिग्ध युवक कैमरे में चोरी करते कैद हो गया.

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, ''पवन पांडेय'' आत्मज ''श्री शरत कुमार पांडेय'', आयु 46 वर्ष, निवासी : B1 /604 , पारस अरबन पार्क, बावड़िया कला।, पोस्ट - मिसरोड, जिला भोपाल (म.प्र.), मेरे मार्क्स शीट और पासपोर्ट में मेरा नाम ''पवन कुमार पांडेय''अंकित है, जबकि मेरा प्रचलित नाम पवन पांडेय है। भविष्य में मुझे पवन पांडेय के नाम से जाना एवं पहचाना जायेगा।

नाम परिवर्तन सूचना

मेरा नाम जावेद अहमद फारूकी (Javed Ahmed Faruqui) है। पासपोर्ट में ग़लत स्पेलिंग के कारण मेरा नाम Javed Ahmed Farooqui हो गया है,जोकि गलत है। मेरा सही नाम जावेद अहमद फारूकी पुत्र स्व. श्री मुश्ताक अहमद फारूकी (Javed Ahmed Faruqui S/O Late Mushtaq Ahmed Farooqui निवासी B-383, Airport Road 3EME Centre Indravihar Colony PO, Bairagarh District Bhopal MP है।

अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान
(विश्वविद्यालय समतुल्य)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त संगठन, भारत सरकार
गोवंडी स्टेशन रोड, देवनार, मुंबई – 400088
संपर्क विवरण: टेलीफ़ोन: 91–22– 42372468
ईमेल : admission@iipsindia.ac.in वेबसाइट : www.iipsindia.ac.in

प्रवेश घोषणा – शैक्षणिक वर्ष 2026–2027

सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि PG, Ph.D. तथा PDF पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तिथि 15–07–2026 (प्रातः 11:00 बजे) तक बढ़ा दी गई है। अधिक जानकारी हेतु कृपया www.iipsindia.ac.in पर जाएँ ।

निदेशक एवं वरिष्ठ प्रोफेसर

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
कार्पोरेट कार्य मंत्रालय
त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केन्द्र (सी-पेस)
आई.आई.सी.ए. बिल्डिंग, 7वीं मंजिल, प्लाट पी-6-7-8, से.- 5, आई.एम.टी. मानेसर गुड़गांव, हरियाणा-122050
ई-मेल: roc.cpace@mca.gov.in

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

(कंपनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में)

सार्वजनिक नोटिस : आरओसी/सी-पेस/एसटीके-2/248 (2)/2026-27/619 दिनांक : 23/6/2026

संदर्भ

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (16) कम्पनियों का नाम **मध्यप्रदेश** राज्य से हटाने के मामले में :-

S.NO	Work Item	CIN	Company Hindi Name
1	AC3927344	U74120MP2015OPC033909	अनुभव मीडिया (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
2	AC3750173	U43900MP2025PTC077032	ड्रीम ग्रिड सिक्योरिटी एंड इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
3	AC3866845	U47890MP2023PTC069016	सद्भावना इंडिया मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
4	AC3997317	U65993MP1981PTC001751	लेखा विजय इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AC3931014	U66190MP2025PTC074754	इक्विमोटिव कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
6	AC3944963	U17299MP2020PTC051343	कासरवाड वीवर हाउस प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
7	AC3931011	U66190MP2025PTC074610	जॉर्वेक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
8	AC3946002	U01100MP2021PTC057307	दतिया एमपी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
9	AC3961138	U61900MP2023PTC068528	रामाराम टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
10	AC3969785	U70100MP2015PTC033670	भंवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
11	AC3844905	U15339MP2021PLC057350	एसएसजीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
12	AC3821747	U01100MP2021PTC054849	त्रिवेणीताप्ती फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
13	AC3664516	U01100MP2022PTC060304	बीएमजी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
14	AC3700595	U72900MP2020PTC052042	एग्रिविटी इनोवेशन एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
15	AC3590453	U22203MP2024PTC071077	अल्ट्रामॉडर्न रीसाइक्लिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
16	AC3579216	U15500MP2022PTC061355	जोरो ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अत: कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/ अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है.
3. तद्नुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है.
4. यदि किसी व्यक्ति/ संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/ संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं.

इरकन तिर्की
उप-पंजीयक
त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केन्द्र

सीबीसी- 07123/11/0272/2627

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में सरफेसी अधिनियम के रूप में संदर्भित) नियमावली, 2002 (संक्षेप में नियम के रूप में संदर्भित) के तहत शक्तियों के प्रयोग में और सुरक्षित ऋणों की वसूली के लिए उक्त सरफेसी अधिनियम और नियमों के तहत अधिकृत अधिकारी के पास निहित इसके बाद नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं की सुरक्षित संपत्ति के कब्जे के अनुसरण में, अधिकृत अधिकारी ने नीलामी बिक्री द्वारा सुरक्षित संपत्ति को बेचने का निर्णय लिया है. इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता, बंधककर्ताओं और गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि फीनिक्स ट्रस्ट FY26-14 (फीनिक्स) के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहे फीनिक्स एआरसी लिमिटेड (जिसे पहले फीनिक्स एआरसी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), पंजीकृत कार्यालय: तीसरी मंजिल, वालेस टावर्स, 139/140/बी/1, सहार रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का क्रॉसिंग, विले पार्ले ईस्ट, मुंबई- 400057 के पास बंधक रखी गई नीचे उल्लिखित संपत्ति (दिनांक 29.12.2025 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से फीनिक्स के पक्ष में आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड द्वारा ऋणों के असाइनमेंट के अनुसरण में) को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के नियमों के तहत देय राशि और आगे के ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है जो कुछ भी है' और 'बिना किसी सहारे की स्थिति में' के आधार पर 'ऑनलाइन ई-नीलामी' के माध्यम से बेचा जाएगा. बिक्री नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइट: www.iiflonehome.com पर प्रदान किए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी.

देनदार/सहदेनदार/ गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जा तिथि	रिजर्व मूल्य
श्री थॉमसन जोसेफ, श्रीमती श्यमोल, थॉमसन, श्रीमती श्यमोल थॉमसन (प्रॉस्पेक्ट नंबर 843118)	25/01/2022, रु. 14,43,801/- (रु. चौदह लाख तिरतालीस हजार आठ सौ एक मात्र)	संपत्ति का वह भाग, जिसमें शामिल है- फ्लैट संख्या 03, क्षेत्रफल 525 वर्ग फुट , प्लॉट संख्या 1-02, भूतल, ग्लोबल एनक्लेव, दीप नगर, मंडीदीप, तहसील-गौहरगंज, रायसेन, 462046, मध्य प्रदेश, भारत (निर्मित क्षेत्र 687 वर्ग फुट)	29/01/2026 दिनांक 31/05/2026 तक कुल बकाया राशि रु. 17,18,422.47 (रुपये सत्रह लाख अट्ठारह हजार चार सौ बाइस और सैंतालीस पैसे मात्र)	रुपये 12,70,950/- (रु. बारह लाख सत्तर हजार नौ सौ पचास मात्र)
	बोली वृद्धि राशि रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)			बयाना जमा रुपये 1,27,095/- (रु. एक लाख सत्ताइस हजार पिच्यानवे मात्र)
श्री संतराम साहू श्रीमती रुक्मणी साहू (प्रॉस्पेक्ट नं. 830327)	20/05/2025, रु. 32,95,210/- (रु. बत्तीस लाख पिंच्यानवे हजार दो सौ दस मात्र)	संपत्ति का वह भाग जिसका पता है: फ्लैट संख्या C-2/203, ब्लॉक C-2, दूसरी मंजिल, सर्वे संख्या 8/1/13/क, 8/2/1/1, 11/1/2, फॉर्च्यून कस्तूरी, ग्राम जाटखेड़ी, तहसील- हुजूर, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश, 462047 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: निर्मित क्षेत्र, कालीन क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल: 758.00, 683.00	08/01/2026 दिनांक 31/05/2026 तक कुल बकाया राशि रु. 37,39,008.03 (रु. सैंतीस लाख उन्तालीस हजार आठ और तीन पैसे मात्र)	रुपये 31,79,400/- (रु. इकतीस लाख उन्यासी हजार चार सौ मात्र)
	बोली वृद्धि राशि रु. 40,000/- (रु. चालीस हजार मात्र)			बयाना जमा रु. 3,17,940/- (रु. तीन लाख सत्रह हजार नौ सौ चालीस मात्र)
संपत्ति निरीक्षण दिनांक 3/8/2026 11.00-14.00 बजे		ईएमडी की अंतिम दिनांक 5/8/2026 के 5.00 बजे तक		ई-नीलामी दिनांक/समय 7/8/2026 11.00 से 13.00 बजे

भुगतान का तरीका:- ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है. भुगतान करने के लिए आपको https://www.iiflonehome.com पर जाना होगा और संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध भुगतान लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा. **नोट:-** प्रत्येक संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग है. सुनिश्चित करें कि आप उसी संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं, जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं. **शेष भुगतान के लिए - लॉगिन करें https://www.iiflonehome.com > (My Bid) > (Pay Balance Amount)**

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://www.iiflonehome.com पर अग्रिम रूप से अपना विवरण पंजीकृत करना होगा और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इच्छुक बोलीदाताओं को भागीदारी से पहले ईएमडी का भुगतान जमा करना होगा. भुगतान के बाद, बोलीदाताओं को अपने आधार नंबर का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित ई-टेंडर फॉर्म/बोली फॉर्म (ई-साइन) जमा करना आवश्यक है.
2. बोलीदाता कॉलम 'बोली वृद्धि राशि' के तहत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करेंगे. यदि नीलामी के अंतिम 5 मिनट में कोई बोली लगाई जाती है, तो समापन का समय स्वचालित रूप से 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा.
3. सफल बोलीदाता को एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर बोली राशि का 25% (ईएमडी को समायोजित करने के बाद) जमा करना होगा और बोली राशि का शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा. सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान मोड में होने चाहिए.
4. खरीदार को उपकर, लागू स्टांप शुल्क, फीस और कोई अन्य वैधानिक देय राशि या अन्य देय राशि जैसे कि नगर निगम कर, भूमि के हस्तांतरण या ट्रांसफर से जुड़ी लागतें और संपत्ति से संबंधित करों और दरों सहित अन्य सभी आकस्मिक लागतें, शुल्क वहन करने होंगे.
5. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए अपनी बोलियां जमा करने से पहले विस्तृत नियमों और नीलामी बिक्री की शर्तों एवं नीलामी आवेदन पत्र के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com पर जाएं.
6. विवरण, सहायता प्रक्रिया और ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए इच्छुक बोलीदाता सेवा प्रदाता से ई-मेल आईडी- care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर: @ 1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं.
7. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए IIFL HFL टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 09.30 बजे से शाम 18.00 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं या care@iiflonehome.com / customercare.retail@phoeni&arc.co.in पर ई-मेल कर सकते हैं.
8. उपरोक्त उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे भौतिक कब्जा लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में रखी घरेलू वस्तुओं को 7 दिनों के भीतर एकत्र कर लें, अन्यथा फ़ीनिक्स एआरसी लिमिटेड किसी भी परिस्थिति में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी.
9. इसके अलावा उधारकर्ता/ओं को नोटिस दिया जाता है कि यदि वे उपरोक्त वस्तुओं को एकत्र करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा.
10. सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा उपरोक्त निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी भी चरण में भुगतान में चूक के मामले में, बिक्री रद्द कर दी जाएगी, और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को दोबारा बिक्री के लिए रखा जाएगा.
11. एओ बिना कोई कारण बताए टेंडर/नीलामी के नियमों और शर्तों को स्थगित/रद्द करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. टेंडर/नीलामी में किसी भी विवाद के मामले में, फ़ीनिक्स एआरसी लिमिटेड के एओ का निर्णय अंतिम होगा.
12. ईएमडी के बिना प्राप्त बोलियों/टेंडरों को अमान्य माना जाएगा. ईएमडी को टेंडर खुलने/नीलामी की तारीख से 30 दिनों के भीतर वापस कर दिया जाएगा. बोलीदाता किसी भी कारण से ईएमडी पर कोई ब्याज पाने के हकदार नहीं होंगे.
13. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से ई-नीलामी के लिए बोली लगाने में भाग ले सकते हैं. इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित स्वयं बोलीदाता को करनी होगी. फ़ीनिक्स एआरसी लिमिटेड/ सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश होने, बिजली की विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.
14. कुल बकाया राशि ऋण बंद करने की राशि नहीं है. अन्य सभी शुल्कों (यदि कोई हो) की गणना ऋण बंद करने के समय की जाएगी.
15. बोलीदाता को एतद् द्वारा सावधान किया जाता है कि हमारी वेबसाइट https://www.iiflonehome.com में बोली के आवेदन के समय दर्ज किया गया नाम ही अंतिम होगा और बिक्री प्रमाण पत्र के साथ उच्चतम बोली पत्र बिना किसी अपवाद के उसी नाम से पंजीकृत किया जाएगा.
16. फ़ीनिक्स एआरसी लिमिटेड सर्वोत्तम प्रस्ताव का निर्णय करेगी और निविदाएं खोलने के बाद बोलीदाताओं के साथ बातचीत करने का अधिकार और विवेक सुरक्षित रखती है और प्रस्ताव में सुधार के लिए उच्चतम बोली प्राप्त करने के बाद भी अंतर-बोली की अनुमति देने और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है. टेंडर/नीलामी/ई-नीलामी विफल होने की स्थिति में, फ़ीनिक्स एआरसी लिमिटेड कानून के अनुसार निजी समझौते के माध्यम से संपत्ति बेचने का अधिकार सुरक्षित रखती है.
17. इच्छुक बोलीदाताओं को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे बोली लगाने से पहले निरीक्षण, शीर्षक और भार सहित संपत्ति के संबंध में अपनी स्वतंत्र उचित सावधानी बरतें.
18. रख-रखाव शुल्क, बिल्डर या सोसायटी देय राशि, संपत्ति कर, उपयोगिता शुल्क और कोई अन्य वैधानिक या गैर-वैधानिक देय राशि, चाहे इस नोटिस के समय ज्ञात हो या अज्ञात हो, सहित संपत्ति के प्रति कोई भी और सभी शुल्क, देनदारियां, या दायित्व पूरी तरह से सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक 30 दिनों का बिक्री नोटिस

उधारकर्ता को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे टेंडर/नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और प्रासंगिक खर्चों के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और शेष देय राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूल की जाएगी.

स्थान : रायसेन/भोपाल
दिनांक : 3-जुलाई-2026

हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी
फ़ीनिक्स एआरसी लिमिटेड

भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक: 151/का.यं.-1/ई-निविदा/भोविप्रा/2026 भोपाल, दिनांक : 02.07.2026

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की जाने वाली आगामी लघु सिविल कार्यों और विकास परियोजनाओं के लिये सर्वे, व्यवहार्यता रिपोर्ट, वास्तु डिजाइन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), निविदा दस्तावेज तैयार करने, बोली प्रक्रिया प्रबंधन और अन्य संबद्ध सेवाओं की तैयारी हेतु सलाहकारों के पैनल में शामिल करने हेतु प्रतिष्ठित परामर्श फर्मों से ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित करता है। चयन प्रक्रिया प्रस्ताव के लिये अनुरोध (आर.एफ.पी.) के नियमों/शर्तों के अनुसार ही की जाएगी। इच्छुक और पात्र बोली दाताओं से निम्नलिखित विवरण अनुसार लीस्ट पर्सेन्टेज बेस आधारित पद्धति द्वारा ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की जाती हैं:-

निविदा का सिस्टम क्र.	कार्य का नाम	अर्नेस्ट मनी डिपोजिट ई.एम.डी. (रुपये)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रुपये)	एंपेनलमेंट की समयावधि
2026_DTCP_518888	Empanelment of Consultants for Survey, Preparation of Feasibility Report, Architectural Designs, Detailed Project Reports (DPRs), Preparation of Tender Documents, Bid Process Management and other allied services for upcoming civil works and development projects.	Rs. 1,50,000.00	Rs. 7500+ GST (पोर्टल फीस जी.एस.टी. सहित उक्त राशि के अतिरिक्त भुगतान योग्य है)	2 वर्ष

1. इच्छुक निविदाकार निविदा सूचना **https://mptenders.gov.in/nicgep/app** वेबसाइट पर देख सकते हैं।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं पोर्टल फीस की राशि के माध्यम से उल्लेखित वेबसाइट पर भुगतान कर **दिनांक 03.07.2026 को 17:30 बजे से दिनांक 23.07.2026 को 17:30 बजे तक** क्रय किये जा सकते हैं, अन्य Key Dates उल्लेखित वेबस